म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधन

[स्रोत: द हिंदू](#)

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमिय बोर्ड (SEBI) ने **सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियिम, 1996** में संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की तथा इसने परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (AMCs) के भीतर **नियामक निरीक्षण** को बढ़ाने के लिये संशोधनों को अनिवार्य कर दिया है। कुछ अन्य हालिया प्रस्तावित संशोधन हैं:

- **संस्थागत तंत्र:**
  - AMCs को विशिष्ट प्रकार के कदाचार की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिये **उन्नत निगरानी प्रणाली**, आंतरिक नियंत्रण एवं वृद्धि प्रक्रियाओं को लागू करने की आवश्यकता है।
  - इसका उद्देश्य उद्योग के भीतर **फ्रंट-रनिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग** और संवेदनशील जानकारी के दुरुपयोग को रोकना है।
    - **फ्रंट रनिंग** से तात्पर्य **ब्रोकर** अथवा व्यापारी के **अनैतिक आचरण से है,** जो अपने ग्राहकों द्वारा लंबित ट्रेडों की अग्रिम जानकारी के आधार पर प्रतिभूति पर ऑर्डर निष्पादित करता है, जो बाज़ार मूल्य को प्रभावित कर सकता है।
    - दूसरी ओर, सुरक्षा के बारे में महत्त्वपूर्ण, **गोपनीय जानकारी के आधार पर प्रतिभूतियों को खरीदना अथवा बेचना इनसाइडर ट्रेडिंग** के रूप में जाना जाता है।
- **संप्रेषण रिकॉर्डिंग:**
  - SEBI ने बाज़ार समय के दौरान डीलरों और फंड मैनेजरों द्वारा की जाने वाली प्रत्यक्ष बातचीत को किसी भी प्रकार के संचार रिकॉर्ड करने की आवश्यकता से मुक्त किया है।
- **निष्क्रिय योजनाओं के लिये विवेकपूर्ण मानदंड:**
  - SEBI ने **निष्क्रिय योजनाओं के लिये विवेकपूर्ण मानदंडों** को सुव्यवस्थित किया है, जिससे इक्विटी निष्क्रिय योजनाओं को प्रायोजक समूह की कंपनियों में निवेश करने पर **35% की सीमा** के साथ अंतर्निहित सूचकांक में घटकों के भारांश तक निवेश करने की अनुमति मिलती है।

//

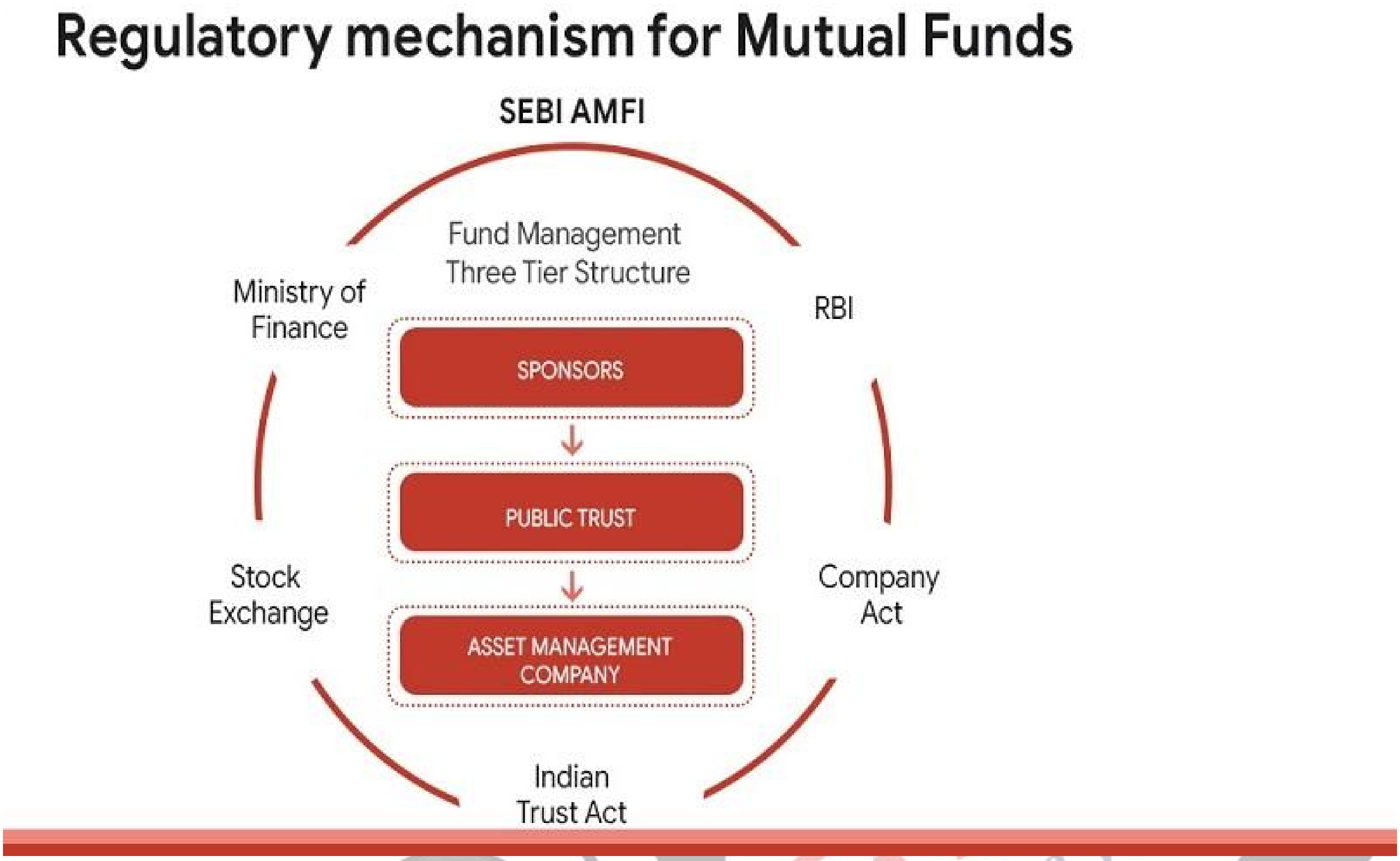

और पढ़े: [परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/amendment-to-mutual-fund-rules